प्रकाशन हेतु अनुमोदित

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

एकलपीठ : **माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधीश**

और माननीय श्री सुनील कुमार गुप्ता सिन्हा न्यायधीश

दांडिक अपील क्रमांक : 1224/1992

अपीलार्थी महिपाल सिंह तांडिया

बनाम

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य
(वर्त्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

निर्णय विचारणार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षरित
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता
मै सहमत हूँ

हस्ताक्षरित
मुख्य न्यायाधीश

दिनांक 14.07.2009 को निर्णय उदघोषित किए जाने हेतु सूचिबद्ध करें

हस्ताक्षरित
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक : 1224/1992

अपीलार्थी **महिपाल सिंह** तांडिया **पिता श्री उधे सिंह** तांडिया **उम्र 34 वर्ष , पेशा- शिक्षक माध्यमिक स्कूल ; चारामा, स्थाई निवासी- व्हिरा गोंग गाँव, थाना भानुप्रतापपुर जिला बस्तर**

बनाम

प्रत्यर्थी **मध्य प्रदेश राज्य**

(वर्त्तमान छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 **की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील)**

उपस्थिति:

श्री संदीप श्रीवास्तवा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी।

निर्णय

(दिनांक 14.07.2010 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा प्रदत्त गया |

(1) अभियुक्त–महिपाल सिंह तांडिया को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कांकेर ने सत्र प्रकरण क्रमांक 59/90 में दिनांक 27 नवम्बर 1992 को दोषसिद्ध किया। उसे

भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया गया .

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं—

डॉ. अमर विश्वास (मृतक) ग्राम दुर्गकोंडल में निजी चिकित्सक के रूप व्यवसाय करते थे। 09.11.89 को वह सह–अभियुक्त लीला साहू के साथ ग्राम मिचगांव गए थे। जब वे वापस नहीं लौटे, तो उनके भाई बैजनाथ विश्वास (अ.सा.-1) ने विभिन्न स्थानों पर खोजबीन की और 19.11.89 को दुर्गकोंडल चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनांक 02.12.89 को शिवराम (अ.सा.-5) का बयान लिया गया, जिसमें उसने बताया कि दिनांक 09.11.89 को वह राजू और लालू के साथ मिचगांव मोड़ पर मौजूद था। उसी समय अभियुक्त भी वहाँ आया। उन्होंने देखा कि मृतक और सह-अभियुक्त लीला साहू दुर्गकोंडल से आने वाली बस से उतरे और ओडाहुर गाँव की ओर जंगल वाले रास्ते से चले गए। अभियुक्त ने उसे (शिवराम) से उनका उन्हें पीछा करने को कहा। वे जंगल में उनके पीछे गए। सागौन के पौधरोपण क्षेत्र के पास पहुँचने पर अभियुक्त ने उसे मृतक को पकड़ने को कहा। अभियुक्त ने सह-अभियुक्त से बात की, जिसने मृतक पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। इस पर अभियुक्त ने बैग से साइकिल की चेन निकाली और मृतक पर हमला करना शुरू कर दिया। सह–अभियुक्त लीला साहू ने भी हाथ-मुक्कों से मृतक को मारा। इसके बाद वे मृतक को घने जंगल में ले गए और शिवराम को रस्सी लाने को कहा। शिवराम गाँव लौट आया और ग्रामीणों से मिला, पर जंगल नहीं लौटा। शाम को अभियुक्त उसके घर आया और उसने अपराध स्वीकार किया तथा उसे धमकी भी दी। भय के कारण उसने यह घटना पहले नहीं बताई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस बयान के आधार पर अभियुक्त को हिरासत में लिया गया और दिनांक 03.12.89 को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसका मेमोरेंडमरेंडम कथन (प्रदर्श. पी./8) दर्ज किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर जंगल से मृतक का शव, मृतक के दो बैग और साइकिल की चेन बरामद की गई। शव की जब्ती का मेमोरेंडम प्रदर्श. पी./14; शव पंचनामा प्रदर्श. पी./15; दो बैगों की जब्ती प्रदर्श. पी./11; रस्सी की जब्ती प्रदर्श. पी./10 और साइकिल चेन की जब्ती प्रदर्श. पी./9 है। सत्र न्यायालय ने शिवराम (अ.सा.-5) की गवाही पर विश्वास किया और यह माना कि जंगल में उसके सामने अभियुक्त ने साइकिल चेन से मृतक पर हमला किया था तथा बाद में उसके सामने अभियुक्त ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की । मृतक का शव अभियुक्त के ही निशानदेही पर बरामद हुआ, और अन्य सामान भी उसी की निशानदेही मिला। इसलिए अभियुक्त को धारा 302 भा.द.वि. के तहत दोषसिद्ध किया गया। सह-अभियुक्त के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं होने से उसे दोषमुक्त कर दिया गया।

(3) श्री संदीप श्रीवास्तव, अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता ने तर्क दिया कि— शव की पहचान नहीं हुई थी; शिवराम (अ.सा.-5) की गवाही भरोसे लायक नहीं है क्योंकि उसने बहुत देर से प्रकटीकरण किया; अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

(4) दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

(5) दोनों पक्षों के तर्क सुनकर तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया ।

(6) जहाँ तक शव की पहचान का प्रश्न है, निस्संदेह वह अत्यधिक सडी हुई अवस्था में था क्योंकि घटना दिनांक 09.11.89 की थी और शव दिनांक 03.12.89 को बरामद हुआ। लेकिन मृतक के भाई बैजनाथ विश्वास (अ.सा.-1) ने वस्त्रों, घड़ी और चिकित्सकीय बैगों (जिनमें स्टेथोस्कोप आदि थे) के आधार पर शव को अपने भाई का बताया। उसने कहा कि बालों और चेहरे के बचे हुए हिस्से से भी वह शव को अपने भाई के शव के रूप में पहचान कर सका। शव की तस्वीरें भी प्रस्तुत की गईं, जिनमें वे कपड़े और सामान दिखते हैं जिनको यह गवाह मृतक का बताता है। डॉ. ए.के. पासिने (अ.सा.-14), जिन्होंने शव परीक्षण किया, ने अत्यधिक सड़े-गले कंकाल जैसे शरीर पर से विभिन्न वस्तुएँ बरामद होने की पुष्टि की —जो जांघिया, तौलिया, पैंट, शर्ट, चप्पल और कलाई घड़ी थी। सामान्य शव परीक्षण रिपोर्ट संभव न होने पर अस्थियों की जाँच के लिए डॉ. टी.एन. माहरोत्रा (अ.सा.-15), विभागाध्यक्ष, एनाटॉमी विभाग, मेडिकल कॉलेज, रायपुर का मत लिया गया। उन्होंने कंकाल को 25–35 वर्ष के पुरुष का बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी साक्ष्य के आधार पर सत्र न्यायाधीश ने यह माना कि शव मृतक का ही था, जो दिनांक 9.11.1989 से लापता था। जब मृतक के भाई ने स्वयं वस्तुओं के आधार पर शव की पहचान की, और वे वस्तुएँ शरीर पर विद्यमान थीं तथा वही वस्तुएँ शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक को भी प्राप्त हुईं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार बरामद किए गए शारीरिक अवशेष मृतक के नहीं थे अथवा उनकी पहचान स्थापित नहीं हुई थी।

(7) जहाँ तक शिवराम (अ. सा.-5) की गवाही का संबंध है, उसने कहा कि जंगल में उसने देखा कि अभियुक्त मृतक पर साइकिल की चेन से हमला कर रहा था। वह डर गया और वहाँ से भाग आया। इसके बाद वह एक सत्तू नामक व्यक्ति के घर गया, जहाँ उसकी मुलाकात पंचम से हुई और उसने पूरी घटना पंचम को बताई। रात में अभियुक्त उसके घर आया और बताया कि उसने मृतक की हत्या कर दी है और उसकी लाश को एक पेड़ से बाँध दिया है। अभियुक्त ने उसे धमकाया कि वह यह बात किसी को न बताए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगले दिन उसने यह बात रैनू (अ. सा.-7)

को बताई। यह तर्क दिया गया कि शिवराम (अ. सा.-5) लगभग एक महीने तक चुप रहा और उसका 161 का बयान (अनुलगनक-डी/5) दिनांक 02.12.89 को दर्ज हुआ, अतः उसकी गवाही पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि इस गवाह ने 02.12.89 को पुलिस को यह तथ्य बताए, उससे पहले उसने उसी दिन पंचम को और अगले दिन रैनू (अ. सा.-7) को भी यह बात बताई थी। रैनू (अ. सा.-7) ने इस हद तक अभियोजन का समर्थन किया कि शिवराम (अ. सा.-5) ने उसे बताया था कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति की हत्या की है, यद्यपि वह मृतक का नाम नहीं बता सका। अ. सा.-5 ने कहा कि अभियुक्त ने उसे धमकाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त द्वारा दी गई धमकी के कारण वह 02.12.89 के पहले पुलिस को घटना बताने का साहस नहीं कर पाया। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें उसे पुलिस से मिलने के अवसर मिले हों और फिर भी उसने बात छुपाई हो। उसने यह तथ्य गाँव वालों को बताया और उसके बाद पुलिस को भी। चूँकि अ. सा.-5 ने जंगल में मारपीट की घटना देखी थी, इसलिए अभियुक्त के लिए उसके पास जाकर धमकाने/समझाने का कारण था कि वह किसी को यह बात न बताए। देरी के लिए दी गई धमकी की यह व्याख्या युक्तियुक्त प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं कारणों से शाम को अभियुक्त इस गवाह के पास आया और मृतक की हत्या करने न्यायिकेत्तर स्वीकृति की । उपरोक्त आधार पर यह न्यायिकेत्तर स्वीकृती भी विश्वसनीय प्रतीत होता है और केवल देरी के आधार पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब उसने तुरंत गाँव वालों को बात बताई थी और पुलिस को देरी से बताने के पीछे उचित कारण भी दिया। देरी हमेशा घातक नहीं होती; देरी की व्याख्या को मामले की परिस्थितियों में देखा जाता है। यदि व्याख्या स्वीकार्य लगे और गवाह का आचरण सामान्य प्रतीत हो, तो केवल देरी के कारण उसकी गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) जहाँ तक अभियुक्त के कथन पर मृतक का शव तथा अन्य वस्तुओं की बरामदगी का प्रश्न है, हम पाते हैं कि अभियुक्त ने 03.12.89 को सुबह 11.10 बजे गाँव मिचगाँव में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अपना मेमोरेंडम बयान (अनुलगनक-पी/8) दिया, जिसके आधार पर मृतक का शव, मृतक के दो बैग तथा अभियुक्त की साइकिल-चेन बरामद हुई। इसे अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है। नटवरलाल भाटिया (अ. सा.-4) ने कहा कि पूछने पर अभियुक्त ने बताया कि डॉ. विश्वास की लाश और चेन आदि जंगल में हैं और वह स्थान दिखा सकता है। यह कथन विवेचना अधिकारी ने लिखित रूप में दर्ज किया और उसने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अभियुक्त उन्हें जंगल में ले गया और लाश दिखाई। लाश की गर्दन तौलिया से बँधी थी और पेड़ से भी बँधी थी। मृतक के हाथ में घड़ी थी। मृतक के दोनों हाथ पीछे की ओर बँधे थे। दो बैग भी मिले। विवेचना अधिकारी ने भी समान बयान दिया जिससे बरामदगी में कोई संदेह नहीं बचता। इससे सिद्ध होता है कि जंगल में मिली लाश और वस्तुओं के बारे में अभियुक्त को विशेष जानकारी थी और उसके मेमोरेंडम के पश्च्यात वह पुलिस को घने जंगले में ले गया तथा शव तथा वस्तुओंको बर्मद करवाया। समस्त

साक्ष्यों पर विचार करने से बचाव पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध इन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को विफल करने में सफल नहीं हुआ। ये परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से सिद्ध हुईं, और केवल अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती थीं। ये परिस्थितियाँ किसी अन्य संभावना की गुंजाइश नहीं छोड़तीं। ये एक पूर्ण और निर्णायक श्रृंखला बनाती हैं जो अभियुक्त के अपराध को साबित करती है।

(9) यदि शिवराम (अ. सा.-5) की गवाही को विलंब के कारण अलग भी रख दिया जाए, तब भी अभियुक्त निशानदेही पर मृतक की लाश तथा मृतक की वस्तुओं और साइकिल-चेन की गहरे जंगल से बरामदगी पर्याप्त है यह सिद्ध करने के लिए कि अपराध का कर्ता अभियुक्त ही था।

(10) उपर्युक्त कारणों से हमें अपील में कोई बल नहीं दिखता। अपील अपूर्ण है उसे पूर्ण करे।

(11) बताया गया है कि अभियुक्त ज़मानत पर है। उसे निर्देशित किया जाता है कि वह शेष देह भुगतान हेतु तत्काल आत्मसमर्पण करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षर/–
मुख्य न्यायाधीश

हस्ताक्षर/–
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ANUBHUTI MARHAS Advocate